प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 21 मार्च 2025

विषयः-केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामजस उर्फ चुनकवना पुत्र श्री धर्मराज यादव, निवासी जनपद-बांदा की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-34705/प्रो0 (06)/242(सहिष्णुता दिवस-24), दिनांक 19.11.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामजस उर्फ चुनकवना पुत्र श्री धर्मराज यादव, काजी टोला, थाना-मर्का, जनपद-बांदा का निवासी है। जमानत लेने से मना करने की रंजिश को लेकर दिनांक 17.10.2007 को बन्दी ने तमन्चें से गोली मारकर गंगवा नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र संख्या-295/2007 व 296/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-05, बाँदा के आदेश दिनांक 16.04.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.01.2019 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.11.2024 तक अपरिहार 16 वर्ष, 01 माह 13 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 01 माह 04 दिन की सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा उल्लिखित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति अत्यन्त गम्भीर है। बन्दी का पूर्व आपराधिक इतिहास भी है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज मे न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। अतएव बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता व जघन्यता एवं पूर्व आपराधिक इतिहास के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी0/2018 दिनांक 01 अगस्त, 2018 व शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी0/2018 दिनांक 28 जुलाई, 2021 तथा संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018 दिनांक 27 मई, 2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रामजस उर्फ चुनकवना पुत्र श्री धर्मराज यादव की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामजस उर्फ चुनकवना (बन्दी संख्या-1876/2011) पुत्र श्री धर्मराज यादव, निवासी जनपद-बांदा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-279/2025/2005(1)/22-2-2024 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बांदा।

2- पुलिस अधीक्षक, बांदा।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।

4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।